

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
पर्यटन, उ0प्र0  
लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग**

**लखनऊ, दिनांक 30 मार्च 2020**

**विषय:- जनपद हापुड स्थित गढमुक्तेश्वर (बृजघाट) के समेकित पर्यटन विकास कार्य की परियोजना हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6601/6-1-1/(879)/2019-20, दिनांक 03 मार्च, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद हापुड स्थित गढमुक्तेश्वर (बृजघाट) के समेकित पर्यटन विकास कार्य की परियोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था -उ0प्र0 कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज- उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-188/2018/3845/41-2018-111(बजट)/2018 दिनांक 21 नवम्बर 2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 2002.23 लाख ( रू0 बीस करोड दो लाख तेईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 800.89 लाख (रूपये आठ करोड नवासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। तदनन्तर शासनादेश संख्या-233/2019/2828/41-2019-111(बजट)/2018 दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 800.89 लाख (रूपये आठ करोड नवासी हजार मात्र) अवमुक्त की गई। उक्त अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-188/2018/3845/41-2018-111(बजट)/2018 दिनांक 21 नवम्बर 2018 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-188/2018/3845/41-2018-111(बजट)/2018 दिनांक 21 नवम्बर 2018 एवं शासनादेश संख्या- 233/2019/2828/41-2019-111(बजट)/2018 दिनांक 17 अक्टूबर 2019 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2019 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। प्रायोजना के प्रस्तावित कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्ज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 के प्रस्तर-2(8)(च) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।
- (7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
- (9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800 - अन्य व्यय -41-जनपद हापुड स्थित गढमुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

**संख्या-122/2020/887/41-2020-111(बजट)/2018 तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी, हापुड।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज- उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
- 7- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज- उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-31, गाजियाबाद।
- 8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
- 10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मेरठ।
- 11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
- 12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।